

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय
केस संख्या

ACEM (F.F.)
174/13

बनाम मुकुल तिवड़ी
मु. जयपुर


क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	19/8/19	वादी अधिवक्ता को शाम 5.30 तक कार कार भावात लगावावृत्ति की कार कार भावात लगावने के उपरांत की वही नए अधिवक्ता अनुपस्थित रहे अतः पगावली वही अधिवक्ता को दिनांक 23/08/19 को पेश है	
	26/8/19	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फारम नं. जयपुर) दिनांक 23/08/19 को वापसी अधिवक्ता घोषित होने के पगावली को पेश हुई अधिवक्ता प्रतिवादीगत उपस्थित वादी नए अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता को द्वारा रजिस्ट्रार को पेश करने से पगावली वही अधिवक्ता को दिनांक 30/8/19 को पेश है।	
	30/8/19	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फारम नं. जयपुर) पगावली पेश हुई अधिवक्ता प्रतिवादी को व सज्जी प्रतिवादी उपस्थित वादी नए अधिवक्ता अनुपस्थित वादी व वादी अधिवक्ता को शाम 5.30 तक कार कार भावात लगावृत्ति की कार कार भावात लगावने के उपरांत की वही अधिवक्ता अनुपस्थित रहे पगावली को अधिवक्ता को दिनांक 30/8/19 को पेश है।	

26/08/2019

RAMESH CHANDRA KASHYAP

फर्द अहकाम
मंवरलाल बनाम मुकुलतिवडी

म न्यायालय ACem (F.T.) आमेर मु. जयपुर
 स संख्या 174/15

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/8/19	<p>स्वादि निपेडार के सम्बन्धित है। वादी व वादी अधिवक्ता जात कई तारीख पेशियों से मिलान अनुपस्थित रहे हैं। आज भी अनुपस्थित है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी की अब प्रकरण में कोई र्नाय नहीं है तथा प्रकरण में कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। अतः वादवादी अधमहाजरी फर्द परवी में स्वादिज किया जाता है। पत्रावली प्रेषण शुका होमा दर्ज नम्बर से कम हो। बाद लक्ष्मील कारिवाल दफत हो।</p> <p align="right">  सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर </p>	